न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 54/बी–121/2015–16

: आदेश ::

(आज दिनांक 23/05/2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आजाद नगर तहसीलदार तहसील आजाद नगर का जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आजाद नगर के माध्यम से अनुशंसा सहित प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 12.3.2016 को घटनास्थल ग्राम सेजावाडा रोड पर सड़क दुर्घटना(मैजिक गाडी एवं तुफान गाडी आपस में टकराने से) होने से गंभरी घायल होने पर निमनानुसार घायलों को आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

क.	घायल व्यक्तियो के नाम	निवासी ग्राम	स्वीकृत आर्थिक सहायता
1	श्री बकुल पिता रामसिंह पटेलिया उम्र 25 वर्ष	सेजावाडा	7500/–
2	विपुल पिता भेरू उम्र 15 वर्ष निवासी सेजवाडा	सेजावाडा	7500/–
3	राहुल पिता राजू उम्र 23 वर्ष	चमार टेकरी	7500/–
	योग	बाईस हजार पॉच सौ	22,500/–

तहसीलदार आजाद नगर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आजाद नगर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिर्पोट एवं ब्लॉक मेडिकल आफिसर आजाद नगर की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल, दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सडक दुर्घटना मे उक्त गंभीर घायलों को कुल 22,500/– (बाईस हजार पॉच सौ मात्र) आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

sd/-
(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/398/रीडर/2016 अलीराजपुर दिनांक......23/5/2016

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर। (बैकं खाते एवं मो. नं. की छायाप्रति संलग्न)
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आजाद नगर।
5 सहायक जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
6 तहसीलदार तहसील आजाद नगर।
7 संबंधित .... निवासी ग्राम सेजवाडा तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।

प्र. A/c शाखा अलीराजपुर

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर